कार्यालय कलेक्टर जिला-बड़वानी (म.प्र.)

Annexure-I

FORM-I

(For linear projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector-Barwani

No...... 2946

Dated 24/4/17

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **27.571**hectare of forest land proposed to be diverted in favour of **Khargone Transmission Limited** for Construction of **765 kV D/C HEXA KHANDWA-DHULE TRANSMISSION LINE** in Barwani district falls within jurisdiction of BAGHAD village(s) in Rajpur Tehsil, JAMPATI, BAKHTARIYA village(s) in Sendhwa Tehsil and MALWAN village(s) in Warla Tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 27.571hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.........to annexure......... **AS APPLICABLE**

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it. **AS APPLICABLE**

(c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Collector
District- Barwani (M.P.)

Collector
Distt. Barwani (M.P.)

कार्यालय कलेक्टर, (आदिवासी विकास शाखा)

बड़वानी (म.प्र.)

विषयः– 765 के.व्ही. ड़बल सर्किट हेक्सा खण्डवा से धुले विधुत लाईन के निर्माण में जिला बड़वानी के अंतर्गत वनमंडल सेन्धवा में 27.571 हेक्टेयर प्रभावित वन भूमि के व्यपर्वतन के संबंध में ''अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परमपरागत वन निवासी ''(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंनतर्गत प्रमाण पत्र जारी करने बाबद्।

---000---

खरगोन ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा 765 के.व्ही. डी.सी. हेक्सा खण्डवा से धुले पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वनमंडल सेन्धवा के अंतर्गत परिक्षेत्र सेन्धवा के कक्ष कमांक RF701, RF699, RF702, RF586 एवं परिक्षेत्र वरला के कक्ष कमांक RF567, RF568 के कुल रकबा 27.571 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन हेतु ''अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परमपरागत वन निवासी ''(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत संबंधित सभी ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा का आयोजन कर लिया गया हैं, तथा सभी ग्राम सभा की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी हैं जिसके प्रमाण पत्र अनुसार कोई भी दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत नहीं कया गया हैं।

765 के.व्ही. डी.सी. हेक्सा खण्डवा से धुले पारेषण लाईन का निर्माण पश्चिमी क्षेत्र की ग्रिड प्रणाली को मजबूती प्रदान करने हेतू प्रस्तावित होने से राष्ट्र तथा लोक हित की इस वृहद परियोजना के निर्माण हेतु उक्त ग्राम पंचायतो के अनुसार उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने की अनुशंसा की गयी हैं।

समस्त औपचारिकताओं/प्रकियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है, तथा ग्राम सभा मे व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया गया है। उक्त कार्य पर अपना अभिमत तथा सहमति व्यक्त की गई होने से प्रोजेक्ट हेड खरगोन ट्रांसमिशन लिमिटेड को वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जावें।

सदस्य
जिला स्तरीय
वन अधिकारी समिति सेन्धवा

सचिव
जिला स्तरीय
वन अधिकारी समिति बड़वानी

अध्यक्ष
जिला स्तरीय
वन अधिकारी समिति बड़वानी

उप खण्डस्तरीय वन अधिकार समिति राजपुर का प्रस्ताव

खरगोन ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा 765 के.व्ही. डी.सी. हेक्सा खण्डवा से धुले पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वन मण्डल सेंधवा के अंतर्गत परिक्षेत्र सेंधवा के कक्ष कंमाक RF 701 रकबा 3.410 हे0 प्रभावित वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु अनूसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत संबंधित ग्राम पंचायत बघाड द्वारा ग्राम सभा का आयोजन कर लिया गया है, तथा ग्राम सभा की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। जिसके प्रमाण पत्र अनुसार कोई भी दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित करती है कि, 765 के.व्ही. डी.सी. हेक्सा खण्डवा से धुले पारेषण लाईन का निर्माण पश्चिम क्षेत्र की ग्रिड प्रणाली को मजबूती प्रदान करने हेतु प्रस्तावित है। अतः राष्ट्र तथा लोक हित की इस वृहद परियोजना के निर्माण हेतु उक्त ग्राम पंचायतों के प्रमाण पत्रों के अनुसार अनापत्ति जाहिर करते हुए अनुशंसा की जाती हैं ।

15/12/16

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) राजपुर

कक्ष क्रमांक - RF-701 रकबा 3.410 हेक्टर
और [illegible] है। यह वन
मण्डल सेंधवा (सामान्य) का अंग है।

उप वन मंडलाधिकारी
सेंधवा (सा.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी रा. सेंधवा जिला बडवानी (म.प्र.)

दिनांक 17.01.17

::सहमति पत्र::

प्रमाणित किया जाता है कि–

1. खरगोन ट्रेंन्समिशन लिमिटेड, खरगोन द्वारा 765 के.वी. डबल सर्किट HEXA खण्डवा–धुले विघुत लाईन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है , उपखण्ड सेंधवा के जनपद पंचायत सेंधवा अंतर्गत ग्राम पंचायत जामपाटी के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वनखण्ड मेन सतपुडा के कक्ष क्रमांक आरएफ 702,आरएफ 699 में /राजस्व वनक्षेत्र खसरा नं. -.......में आवेंदित क्षेत्रफल **9.682** हेक्टर तथा ग्राम पंचायत बख्तरिया के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वनखण्ड मेन सतपुडा के कक्ष क्रमांक आरएफ 586 में /राजस्व वनक्षेत्र खसरा नं. -.......में आवेदित क्षेत्रफल **6.834** हेक्टर तथा ग्राम पंचायत मालवन के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वनखण्ड मेन सतपुडा के कक्ष क्रमांक आरएफ 567,आरएफ 568 में /राजस्व वनक्षेत्र खसरा नं. -.......में आवेदित क्षेत्रफल **7.645** हेक्टर कुल **24.161** हेक्टर वनभूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभाओ के सहमति एवं ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के विनिश्चय के उपरांत उपखण्ड स्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। परीक्षण के दौरान उक्त कुल प्रस्तावित वन भूमि पर गठित दल के सत्यापन रिपोर्ट अनुसार कोई वनअधिकारपत्र धारक प्रभावित नही पाया गया है।
2. वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत् वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासीयो कि उपरोक्त ग्राम सभाओ के समक्ष रखा जाने के पश्चात उपखण्ड स्तरीय समिति के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव पर चर्चा एवं बैठक दिनों 17.01.17 को की गई, जिसमें उपखण्ड स्तरीय समिती के सदस्य उपस्थित थे ।
3. अतः प्रमाणित किया जाता है कि, व्यपवर्तन के लिये आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्यपरम्परागत वननिवासी(वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारीकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गयाहै तथा ग्राम सभाओ द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र अनुसार व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया गया है।
4. वन भूमि व्यपर्वतन के फलस्वरूप सम्पादित किये जाने वाले कार्य से क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभाओ के सहमति पत्रानुसार उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।
5. यह प्रमाणपत्र उपरोक्त ग्राम सभाओ कि सहमति पत्रो एवं प्रस्ताव के आधार पर दिया जाता है। इस संपुर्ण कार्य के दौरान अथवा पश्चात भी वनभूमि का स्वरूप एवं स्वामित्व अप्रभावशील एवं पुर्ववत् रहेगा ।

सचिव	सदस्य 17/1/17	अध्यक्ष 17/1/17
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति सेंधवा	उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति सेंधवा	उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति सेंधवा

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी रा. सेंधवा जिला बडवानी (म.प्र.)

दिनांक 17.01.17

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि खरगोन ट्रॅन्समिशन लिमिटेड, खरगोन द्वारा 765 के.वी. डबल सर्किट HEXA खण्डवा–धुले विघुत लाईन का निर्माण किया जाना है तथा उक्त विघुत लाईन हेतु प्रभावित होने वाले ग्राम पंचायत जामपाटी,ग्राम पंचायत बख्तरिया,ग्राम मालवन के अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति को कोई आपत्ति नही है। तथा वनअधिकार अधिनियम 2006 के नियम 3 (2–ड.) के अनुसार लोकहितं की इस परियोजना के शीघ्र निर्माण हेतु अनुसंशा की जाती है।

सचिव	सदस्य 17/1/17	अध्यक्ष 17/1/17
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति	उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति	उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
सेंधवा	सेंधवा	सेंधवा

कार्यालय सरपंच ....बघाड़.... ग्राम पंचायत ....बघाड़....
जिला ....बड़वानी.... (म.प्र.)

अनापत्ति प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि खरगोन ट्रांमिशन लिमिटेड, खरगोन द्वारा 765 के.वी. डबल सर्किट HEXA खण्डवा से धुले विद्युत लाईन का निर्माण किया जाना है तथा उक्त प्रस्तावित विद्युत लाईन से इस ग्राम पंचायत ....बघाड़.... को कोई आपत्ति नहीं है। अतः लोकहित की इस परियोजना के शीघ्र निर्माण कराये जाने हेतु की अनुशंसा की जाती है।

सचिव
ग्राम पंचायत, बघाड़

शका
सरपंच
ग्राम पंचायत, बघाड

कार्यालय ग्राम सभा ......बघाड़...... जनपद पंचायत ......राजपुर......

जिला ......बड़वानी...... (म.प्र.)

– ग्राम सभा का सहमति पत्र –

प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. खरगोन ट्रांसमिशन लिमिटेड, खरगोन की 765 के.व्ही. डबल सर्किट HEXA खण्डवा से धुले विद्युत लाईन के निर्माण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम ......बघाड़...... के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड ......मैन सतपुडा-2...... के कक्ष कमांक ....RF 701......में/राजस्व वन क्षेत्र खसरा कमांक ......–......में आवेदित क्षेत्रफल ......3.410......हेक्ट. है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि व्यवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अतंर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक ......02-10-2016......को की गई, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि, व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रकियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एत्द द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न :– ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति ।

B.12 भास्कर जगताप बीट गार्ड-पाडला

दिनांक
02-10-16

शका
सरपंच
ग्राम पंचायत, बघाड

अध्यक्ष
ग्राम वन समिति बघाड़

सचिव
ग्राम पंचायत, बघाड

प्रधान/सचिव
हस्ताक्षर नाम एवं मुद्रा सहित

अन्य समुदायिक दावों के सम्बंध में ग्राम सभा द्वारा किये जाने वाले

संकल्प का प्रारूप

1. इस दावे के सम्बंध में ग्राम सभा की बैठक दिनांक 02-10-2016 में वन अधिकारी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार किया गया। बैठक की पूर्व सूचना उपखण्ड स्तर समिति और वन विभाग के प्राधिकृत अधिकारी बीट गार्ड को भी दी गई थी।

   निम्नांकित प्रतिनिधि उपस्थित हुए, जिन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया :–

   वन विभाग की ओर से बीट गार्ड, वन अधिकार समिति

   स्तर समिति की ओर से प्रस्ताव पारित किया गया

2. वन अधिकारी समिति के निशकर्श, दावे के समर्थन के दावें उपलब्ध साक्ष्य और हितबद्ध पक्षों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधियों के कथनों पर विचार करने के उपरांत निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया :–

   दावा मान्य किया जाता है।

   दावा निम्नलिखित संस्साधनों के साथ मान्य किया जाता है :–

   ....

   ....

   ....

   दावा निम्नलिखित कारणों से मान्य नहीं किया जाता है :–

   ....

   ....

दिनांक 02-10-16

शका
सरपंच
ग्राम पंचायत, बघाड
शका

सचिव
ग्राम पंचायत, बघाड

B.R.
भास्कर जगताप
बीटगार्ड–पाडला

अध्यक्ष
[signature]
ग्राम वन समिति बघाड़

पंचायत की बैठकों की कार्यवाही की पुस्तक

प्रस्ताव 15	ठहराव 15
1	2
विषय:- विद्युत लाईन ग्राम पंचायत बघाड़ के वन क्षेत्र में गुजरने बाबत् एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में विचार विमर्श	आज दिनांक 2-10-2016 को ग्राम बघाड़ में ग्राम सभा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कोरम पूर्ण होने पर यह निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत बघाड़ अन्तर्गत वन क्षेत्र से 765 के.वी. D/C खण्डवा धुले ट्रांसमिशन लाईन निर्माण कार्य हेतु ट्रांसमिशन कम्पनि द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया ग्राम ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल 3.410 हेक्टर प्रभावित होगा एवं ग्राम पंचायत से विद्युत लाईन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र मांगा गया है क्योंकि लाईन वन क्षेत्र से गुजर रही है अगर कम्पनी के विद्युत लाईन लगाने जाने में वन विभाग अनुमति प्रदान करता है तो ग्राम पंचायत बघाड़ को कोई आपत्ति नहीं है। यह प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित किया गया सही।

उपसरपंच

शोभा
सरपंच
ग्राम पंचायत, बघाड़

सत्यप्रतिलिपि

सचिव
ग्राम पंचायत, बघाड़

सचिव
ग्राम पंचायत बघाड़

शोभा
सरपंच
ग्राम पंचायत, बघाड़

दिनांकः 02.10.2016

ग्रामस्तरीय वन अधिकार समिति, बघाड का प्रस्ताव

खरगोन ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा 765 के.व्ही. डी.सी. हेक्सा खण्डवा से धुले पारेषण लाईन के निर्माण हेतु वन मण्डल सेंधवा के अंतर्गत परिक्षेत्र सेंधवा के कक्ष कंमाक RF 701 रकबा 3.410 हे0 प्रभावित वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु अनूसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत संबंधित ग्राम पंचायत बघाड द्वारा ग्राम सभा का आयोजन कर लिया गया है, तथा ग्राम सभा की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। जिसके प्रमाण पत्र अनुसार कोई भी दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

ग्रामस्तरीय वन अधिकार समिति सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित करती है कि, 765 के.व्ही. डी.सी. हेक्सा खण्डवा से धुले पारेषण लाईन का निर्माण पश्चिम क्षेत्र की ग्रिड प्रणाली को मजबूती प्रदान करने हेतु प्रस्तावित है। अतः राष्ट्र तथा लोक हित की इस वृहद परियोजना के निर्माण हेतु उक्त ग्राम पंचायतों के प्रमाण पत्रों के अनुसार अनापत्ति जाहिर करते हुए अनुशंसा की जाती हैं ।

सदस्यः

शोभा

केलाशी

जगदीश

अध्यक्ष
ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति

सचिव / अध्यक्ष
ग्रामस्तरीय वन अधिकार समिति
ग्राम बघाड, पंचायत राजपुर

ग्राम स्तरिय वन अधिकार समिति बैठक
ग्राम बघाड़, राजपुर

Page No.
Date: 02/10/2016

प्रस्ताव	ठहराव
विषयः खरगौन ट्रॉसमिशन लि. द्वारा 765 KV डबल सर्किट ढेकसा खण्डवा से धुले विद्युत लाईन के निर्माण हेतु अनुसुचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत्।	आजदिनांक 02-10-2016 को ग्राम स्तरिय वन अधिकार समिति बैठक का आयोजन किया गया जिसमें खरगौन ट्रॉसमिशन लि. द्वारा 765 के.वी. ढेकसा डबल सर्किट खण्डवा से धुले विद्युत लाईन का प्रस्तावित निर्माण कार्य वन क्षेत्र कक्ष क्र. RF 701 3.4 है. से होना है जिसके सम्बधं मे बैठक में विचार विमर्श किया गया। प्रस्तावित विद्युत लाईन के प्रभावित क्षेत्र में अनुसुचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कोई भी दावा एंव अपत्ति प्रस्तुत नही किया गया है। और ना ही कोई दावा लंबित है। तथा ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा व्यपवर्तन की सभी शर्तो को समझ लिया गया है। ग्राम स्तरिय वन अधिकार समिति प्रस्ताव पारित करती है

शोभा

कैलाश

जगदीश

अध्यक्ष
ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति
ग्राम बघाड़ पंचायत बघाड़

कार्यालय सरपंच ....जामपाटी.... ग्राम पंचायत ....जामपाटी....

जिला ....बड़वानी.... (म.प्र.)

02/10/16

ग्रा. पं. जामपाटी ज. पं. सेंधवा

उपरजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) कार्यालय जि. बड़वानी, संभाग-इन्दौर (म.प्र.)

अनापत्ति प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि खरगोन ट्रांमिशन लिमिटेड, खरगोन द्वारा 765 के.वी. डबल सर्किट HEXA खण्डवा से धुले विद्युत लाईन का निर्माण किया जाना है तथा उक्त प्रस्तावित विद्युत लाईन से इस ग्राम पंचायत ....जामपाटी.... को कोई आपत्ति नहीं है। अतः लोकहित की इस परियोजना के शीघ्र निर्माण कराये जाने हेतु की अनुशंसा की जाती है।

सचिव
ग्राम पंचायत, जामपाटी
ज. प., सेन्धवा, जि. बड़वानी
संभाग-इन्दौर [म.प्र.]

कुलेनदीया
सरपंच
ग्राम पंचायत, जामपाटी
ज. प., सेन्धवा, जि. बड़वानी
संभाग-इन्दौर [म.प्र.]

कार्यालय ग्राम सभा ......जामपाटी...... जनपद पंचायत ......सेंधवा......

जिला ......बड़वानी...... (म.प्र.)

ग्रा. पं. जामपाटी
ज. पं. सेंधवा

— ग्राम सभा का सहमति पत्र —

प्रमाणित किया जाता है कि :—

1. खरगोन ट्रांसमिशन लिमिटेड, खरगोन की 765 के.व्ही. डबल सर्किट HEXA खण्डवा से धुले विद्युत लाईन के निर्माण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम ......जामपाटी...... के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड ......मिन सतपुडा 2...... के कक्ष कमांक ......RF 702 RF 699...... में/राजस्व वन क्षेत्र खसरा कमांक ......—...... में आवेदित क्षेत्रफल ......9.682...... हेक्ट. है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि व्यवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अतंर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक ......02-10-2016...... को की गई, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि, व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रकियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

काशीराम
काशीराम
सचिव - वन अधिकार समिति
जामपाटी

संलग्न :— ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति ।

दिनांक 02/10/16

कुलेन्द्रीया

सरपंच
ग्राम पंचायत, जामपाटी
ज. प., सेन्धवा, जि. बड़वानी
संभाग-इन्दौर [म.प्र.]

Rt1

नहर सींह बातथ
अध्यक्ष - वन अधिकार समिति
जामपाटी

प्रधान/सचिव
हस्ताक्षर नाम एवं मुद्रा सहित

सचिव
ग्राम पंचायत जामपाटी
ज. प., सेन्धवा, जि. बड़वानी
संभाग-इन्दौर [म.प्र.]

02/10/16

अन्य समुदायिक दावों के सम्बंध में ग्राम सभा द्वारा किये जाने वाले

संकल्प का प्रारूप

1. इस दावे के सम्बंध में ग्राम सभा की बैठक दिनांक 02-10-2016 में वन अधिकारी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार किया गया। बैठक की पूर्व सूचना उपखण्ड स्तर समिति और वन विभाग के प्राधिकृत अधिकारी बीट गार्ड को भी दी गई थी।

   निम्नांकित प्रतिनिधि उपस्थित हुए, जिन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया :–

   वन विभाग की ओर से बीट गार्ड, वन अधिकार समिति

   स्तर समिति की ओर से प्रस्ताव पारित किया गया

2. वन अधिकारी समिति के निश्कर्श, दावे के समर्थन के दावें उपलब्ध साक्ष्य और हितबद्ध पक्षों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधियों के कथनों पर विचार करने के उपरांत निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया :–

   दावा मान्य किया जाता है।

   दावा निम्नलिखित संस्साधनों के साथ मान्य किया जाता है :–

   ....

   ....

   ....

   दावा निम्नलिखित कारणों से मान्य नहीं किया जाता है :–

   ....

   ....

कशीराम
सचिव
काशीराम
सचिव- वन अधिकार समिति
जामपाटी

B.R.
बीट गार्ड-पाडला

दिनांक
02-10-2016

सचिव
ग्राम पंचायत, जामपाटी
ज. प., सेन्धवा, जि. बड़वानी
संभाग-इन्दौर [म.प्र.]

कुलेनदिया
सरपंच
ग्राम पंचायत, जामपाटी
ज. प., सेन्धवा, जि. बड़वानी
संभाग-इन्दौर [म.प्र.]

RTI

माहर सींह बातथ
अध्यक्ष - वन अधिकार समिति
जामपाटी

उपरजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) कार्यालय
ग्रा. पं. जामपाटी

कार्यालय ग्राम पंचायत, जामपाटी

वि.ख.जनपद पंचायत.सेंधवा जि.बड़वानी संभाग इन्दौर, (म.प्र.)

कुलेनटीया बाई नवलसिंग
सरपंच

मनोज मालवीया
सचिव

उपरजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) कार्यालय
ग्रा. पं. जामपाटी
ज. प. सेंधवा
जि. बड़वानी संभाग इन्दौर (म. प्र.)

क्रं.

दिनांक 02/10/16

आज दिनांक 02/10/16 को ग्राम पंचायत जामपाटी के पंचायत भवन में प्रातः 11.00 बजे मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय जनपद पंचायत सेंधवा व शासन के निर्देशानुसार के आदेश क्रमांक ______ दिनांक 02/10/16 को ग्राम पंचायत ने विशेष ग्राम सभा/ एवं साधारण सभा का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय / महोदया श्री /श्रीमती कुलेनटीया बाई द्वारा कि गई जिसमें निम्न प्रस्ताव/ठहराव पारित किये गये।

प्रस्ताव क्र. 06

ठहराव क्रमांक 06

विषय ग्राम जामपाटी के (पावरग्रिड ट्रांसमिशन लिमिटेड) द्वारा 765 K.V लाईन के संबंध प्रस्ताव पारित।

सर्व सम्मिती से विचार विमर्श पश्चात तय किया की शासन द्वारा संचालित योजनाओं यह की ग्राम जामपाटी के (पावरग्रिड उपक्रम लिमिटेड) द्वारा 765 K.V S.C.C लाईन (बड़वानी धुले) निर्माणाधीन के निर्माण ए.न. क्रमांक 112 पर निर्माण कार्य किया जाना है जिसे ग्राम के अन्तर्गत पंचायत जामपाटी को कोई आपत्ति नहीं है कार्य निरन्तर किया जाने की अनुमति स्वीकृति प्रदान की जाकर उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन उपस्थित पंच /उपसरपंच/ ग्राम सभा द्वारा किया जाता है।

प्रस्तावक कमलाबाई

अनुमोदककर्ता कुलेनटीया
सरपंच
ग्राम पंचायत, जामपाटी
ज. प., सेन्धवा, जि. बड़वानी
संभाग-इन्दौर [म.प्र.]

अतः हम सभी इस प्रस्ताव/ठहराव को पारीत कर वरिष्ठ कार्यालय की ओर सादर प्रेषित

RTI

महरसींह बाथा
अध्यक्ष - वन अधिकार समिति
जामपाटी

13.12
बीट गार्ड-पाडला

सचिव
ग्राम पंचा.जामपाटी

सचिव
ग्राम पंचायत, जामपाटी
ज. प., सेन्धवा, जि. बड़वानी
संभाग-इन्दौर [म.प्र.]

कुलेनटीया
सरपंच
ग्राम पंचायत, जामपाटी
ज. प., सेन्धवा, जि. बड़वानी
संभाग-इन्दौर [म.प्र.]

काशीराम
काशीराम
सचिव - वनअधिकार समिति
जामपाटी

दिनांक 02.10.2016

ग्राम स्तरीय वनअधिकार समिति विनिश्चय पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि–

1. खरगोन ट्रॅन्समिशन लिमिटेड, खरगोन द्वारा 765 के.वी. डबल सर्किट HEXA खण्डवा–धुले विघुत लाईन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है , उपखण्ड सेंधवा के जनपद पंचायत सेंधवा अंतर्गत ग्राम पंचायत जामपाटी के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वनखण्ड मेन सतपुडा के कक्ष क्रमांक आरएफ 702,आरएफ 699 में /राजस्व वनक्षेत्र खसरा नं. ....में आवेदित क्षेत्रफल 9.682 हेक्टर वनभूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के सहमति के उपरांत ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। अतः ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के विनिश्चय पश्चात प्रस्ताव पर समस्त उपस्थित सदस्यो कि सहमति उपरांत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की ओर भेजा जाना सुनिश्चित किया गया है।
2. वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत् वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासीयो कि उपरोक्त ग्राम सभाओ के समक्ष रखा जाने के पश्चात ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति समिति के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव पर चर्चा एवं बैठक दिनांक 2.10.2016 को की गई, जिसमें ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति समिती के संदस्य उपस्थित थे ।
3. अतः विनिश्चय किया जाता है कि, ग्राम सभा से सहमति उपरांत व्यपवर्तन के लिये आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्यपरम्परागत वननिवासी(वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारीकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गयाहै तथा ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव उपरांत ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया गया है।
4. वन भूमि व्यपर्वतन के फलस्वरूप सम्पादित किये जाने वाले कार्य से क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा के सहमति अनुसार ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति भी उक्त प्रस्ताव पर अपना अभिमत/सहमति/विनिश्चय व्यक्त करती है।

नजरसींग

सुविता

जुवानसिंग

काशीराम

वहर सींग

सचिव / अध्यक्ष
ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति
ग्राम जामपाटी पंचायत जामपाटी

ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति, जामपाटी

Date 02/10/2016

प्रस्ताव	ठहराव
विषय: खरगौन ट्रॉन्समिशन लि. द्वारा 765-केवी डबल सर्किट विद्युत लाईन के निर्माण हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बंध में विचार विमर्श।	आज दिनांक 02-10-2016 को ग्राम पंचायत जामपाटी के ग्राम स्तरिय वन अधिकार समिति कि बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें उपरोक्त विषय में अनापत्ति के सम्बंध में विचार विमर्श किया गया। ग्राम पंचायत जामपाटी के आरक्षित वन कक्ष क्र. 702, 699, से विद्युत लाईन का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। जिसमें कुल रकबा 9.682 हे. प्रभावित हो रहा है। जिसके व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ग्राम स्तरिय वन अधिकार समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। अत: सुनिश्चय किया जाता है कि, व्यपवर्तन के लिए अपेक्षित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं / प्रक्रियाओं का पालन कर लिया गया है तथा ग्राम स्तरिय वन अधिकार समिति द्वारा व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया गया है। ग्राम पंचायत जामपाटी, ग्राम स्तरिय वन अधिकार समिति प्रस्ताव पारित करती है।
1. नजरसींग 2. प्रविण 3. जुवानसिंग	काशीराम नहरसींग सचिव / अध्यक्ष ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति ग्राम जामपाटी पंचायत — जामपाटी

कार्यालय सरपंच ......बख्तरीया...... ग्राम पंचायत ......बख्तरीया......
जिला ......बड़वानी...... (म.प्र.)

अनापत्ति प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि खरगोन ट्रांमिशन लिमिटेड, खरगोन द्वारा 765 के.वी. डबल सर्किट HEXA खण्डवा से धुले विद्युत लाईन का निर्माण किया जाना है तथा उक्त प्रस्तावित विद्युत लाईन से इस ग्राम पंचायत ......बख्तरीया...... को कोई आपत्ति नहीं है। अतः लोकहित की इस परियोजना के शीघ्र निर्माण कराये जाने हेतु की अनुशंसा की जाती है।

सचिव
ग्राम पंचायत बख्तरिया
ज.पं. [illegible] जि. बड़वानी (म.प्र.)

सीमा
सरपंच
ग्राम पंचायत बख्तरिया

कार्यालय ग्राम सभा ......बख्तरीया...... जनपद पंचायत ......सेंधवा......

जिला ......बड़वानी...... (म.प्र.)

– ग्राम सभा का सहमति पत्र –

प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. खरगोन ट्रांसमिशन लिमिटेड, खरगोन की 765 के.व्ही. डबल सर्किट HEXA खण्डवा से धुले विद्युत लाईन के निर्माण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम ......बख्तरीया...... के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड ......मेन सतपुड़ा - 2...... के कक्ष कमांक ....RF 586......में/राजस्व वन क्षेत्र खसरा कमांक ......—......में आवेदित क्षेत्रफल ......6.834......हेक्ट. है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि व्यवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अतंर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक ......02-10-2016......को की गई, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि, व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न :– ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति ।

गुलीराम
स. सचिव
बख्तरीया

दिनांक 02-10-2016

सीमा
सरपंच
ग्राम पंचायत बख्तरीया

सचिव
ग्राम पंचायत बख्तरिया
ज.पं. सेंधवा जि. बड़वानी (म.प्र.)

प्रधान/सचिव
हस्ताक्षर नाम एवं मुद्रा सहित

कुलमीबाई
कुलमीबाई अध्यक्ष
अध्यक्ष - वन अधिकार समिति
बख्तरीया

अनिल वर्मा
बीट गार्ड आमली

अन्य समुदायिक दावों के सम्बंध में ग्राम सभा द्वारा किये जाने वाले

संकल्प का प्रारूप

1. इस दावे के सम्बंध में ग्राम सभा की बैठक दिनांक 02-10-2016 में वन अधिकारी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार किया गया। बैठक की पूर्व सूचना उपखण्ड स्तर समिति और वन विभाग के प्राधिकृत अधिकारी बीट गार्ड को भी दी गई थी। निम्नांकित प्रतिनिधि उपस्थित हुए, जिन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया :–

   वन विभाग की ओर से बीट गार्ड, वन अधिकार समिति

   स्तर समिति की ओर से प्रस्ताव पारित किया गया

2. वन अधिकारी समिति के निश्कर्श, दावे के समर्थन के दावें उपलब्ध साक्ष्य और हितबद्ध पक्षों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधियों के कथनों पर विचार करने के उपरांत निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया :–

   दावा मान्य किया जाता है।

   दावा निम्नलिखित संस्साधनों के साथ मान्य किया जाता है :–

   ....

   ....

   ....

   दावा निम्नलिखित कारणों से मान्य नहीं किया जाता है :–

   ....

   ....

कुलीराम
स० सचिव
बख्तरीया

सचिव
ग्राम पंचायत बख्तरिया
[illegible], जि. बड़वानी (म.प्र.)

सरपंच
ग्राम पंचायत बख्तरिया

दिनांक 02-10-2016

कुलमीबाई

अनिल वर्मा
बीट गार्ड आचली

कुलमीबाई अध्यक्ष
अध्यक्ष - वन अधिकार समिति
बख्तरीया

पंचायत की बैठकों की कार्यवाही की पुस्तक

प्रस्ताव	ठहराव
1	2
आज दिनांक 2/10/2016	को ग्राम पंचायत बरवारिया में
ग्राम सभा का आयोजन	किया गया। जिसमे निम्न ठहराव
प्रस्ताव पारित किया	गया।
प्रस्ताव क्र. 31	ठहराव क्र. 31
विषय :- विद्युत लाईन ग्राम	प्रस्ताव क्र. पर ग्राम सभा
पंचायत बरवारिया के वन	बैठक ग्राम पंचायत बरवारिया में
क्षेत्र से गुजरने बाबद,	विचार विमर्श किया गया कि ग्राम
एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र	पंचायत बरवारिया अन्तर्गत वन
बाबद विचार।	क्षेत्र से 765 के.वी. D/C
	खण्डवा धूले ट्रांसमिशन लाईन
	निर्माण कार्य हेतु ट्रांसमिशन
गुलीराम स. सचिव बरवारीया	कम्पनी द्वारा आवेदन प्रस्तुत
	किया गया ग्राम पंचायत
[signature]	से विद्युत लाईन निर्माण हेतु
	अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा
कुलमीबाई अध्यक्ष- वन अधिकार समिति बरवारीया	गया है; चूँकि लाईन वन क्षेत्र
[signature] सरपंच ग्राम पंचायत बख्तरिया	से गुजर रही है। अगर कम्पनी के
[signature] अनिल वर्मा बीटगार्ड मापाली	विद्युत लाईन लगाये जाने मे अगर वन
	विभाग अनुमति प्रदान करता है तो ग्राम
	पंचायत बरवारीया को कोई आपत्ति नहीं
सत्यप्रतिलिपि	यह प्रस्ताव ग्राम सभा में
[signature] [signature] सरपंच सचिव ग्राम पंचायत बख्तरिया ज.पं. सेंधवा, जि. बड़वानी (म.प्र.) ग्राम पंचायत बख्तरिया ज.पं. सेंधवा, जि. बड़वानी (म.प्र.)	सर्व सहमति से पारित किया गया
	सही है।

दिनांक 02.10.2016

ग्राम स्तरीय वनअधिकार समिति विनिश्चय पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि–

1. खरगोन ट्रॅन्समिशन लिमिटेड, खरगोन द्वारा 765 के.वी. डबल सर्किट HEXA खंण्डवा–धुले विघुत लाईन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है , उपखण्ड सेंधवा के जनपद पंचायत सेंधवा अंतर्गत ग्राम पंचायत बख्तरिया के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वनखण्ड मेन सतपुडा के कक्ष क्रमांक आरएफ 586 में /राजस्व वनक्षेत्र खसरा नं. ....में आवेदित क्षेत्रफल 6.834 हेक्टर वनभूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभाओ के सहमति के उपरांत ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। अतः ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के विनिश्चय पश्चात प्रस्ताव पर समस्त उपस्थित सदस्यो कि सहमति उपरांत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की ओर भेजा जाना सुनिश्चित किया गया है।
2. वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत् वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासीयो कि उपरोक्त ग्राम सभाओ के समक्ष रखा जाने के पश्चात ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति समिति के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव पर चर्चा एवं बैठक दिनांक 2.10.2016 को की गई, जिसमें ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति समिती के सदस्य उपस्थित थे ।
3. अतः विनिश्चय किया जाता है कि, ग्राम सभा से सहमति उपरांत व्यपवर्तन के लिये आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्यपरम्परागत वननिवासी(वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारीकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गयाहै तथा ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव उपरांत ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया गया है।
4. वन भूमि व्यपर्वतन के फलस्वरूप सम्पादित किये जाने वाले कार्य से क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा के सहमति अनुसार ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति भी उक्त प्रस्ताव पर अपना अभिमत/सहमति/विनिश्चय व्यक्त करती है।

ग्राम वन समिति
सदस्य बख्तरीया
(1)
(2) प्रतापसिंग
बलीराम टेकरे
(3) बीमा

अध्यक्ष सचिव
कुलमीबाई बलीराम टेकरे

सचिव / अध्यक्ष
ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति
ग्राम बख्तरिया पंचायत बख्तरिया

ग्राम स्तरिय वन अधिकार समिति, बख्तरीया

Date: 02/10/2016 Page no: ___

प्रस्ताव	ठहराव
विषय: खरगोन ट्रॉन्समिशन लिमिटेड द्वारा 765 के.वी. डबल सर्किट खण्डवा-धुले विद्युत लाईन के निर्माण हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बंध में विचार विमर्श|	आज दिनांक 02-10-2016 को ग्राम पंचायत बख्तरिया में ग्राम स्तरीय वनअधिकार समिति कि बैठक का आयोजन किया जिसमें उपरोक्त विषय में अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबन्ध में विचार विमर्श किया गया| ग्राम पंचायत बख्तरिया के आरक्षित वन कक्ष क्र. 586 से विद्युत लाईन का निर्माण प्रस्तावित है। जिसके अन्तर्गत कुल रकबा 6.834 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम स्तरिय वन अधिकार समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है| अतः विनिश्चय किया जाता है कि, व्यपवर्तन के लिये आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम स्तरिय वन अधिकार समिति द्वारा व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया गया है| ग्राम पंचायत बख्तरिया, ग्राम स्तरिय वन अधिकार समिति प्रस्ताव पारित करती है|
ग्राम वन समिति सदस्या बख्तरीया	अध्यक्ष कुलमीबाई
प्रतापसिंग	सचिव सुखीराम तोकरे
बलीराम तोकरे बीला	सचिव / अध्यक्ष ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति ग्राम बख्तरीया पंचायत बख्तरीया

कार्यालय सरपंच ......मालवन...... ग्राम पंचायत ......मालवन......

जिला ......बड़वानी...... (म.प्र.)

अनापत्ति प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि खरगोन ट्रांमिशन लिमिटेड, खरगोन द्वारा 765 के.वी. डबल सर्किट HEXA खण्डवा से धुले विद्युत लाईन का निर्माण किया जाना है तथा उक्त प्रस्तावित विद्युत लाईन से इस ग्राम पंचायत ......मालवन...... को कोई आपत्ति नहीं है। अतः लोकहित की इस परियोजना के शीघ्र निर्माण कराये जाने हेतु की अनुशंसा की जाती है।

सचिव
ग्राम पंचायत, मालवन
ज. पं. सेंधवा, जि. बड़वानी

शाहजाबाई
सरपंच
शाहजाबाई जाधव
ग्रा पंचायत मालवन

कार्यालय ग्राम सभा ......मालवन...... जनपद पंचायत ......सेंधवा......

जिला ......बड़वानी...... (म.प्र.)

— ग्राम सभा का सहमति पत्र —

प्रमाणित किया जाता है कि :—

1. खरगोन ट्रांसमिशन लिमिटेड, खरगोन की 765 के.व्ही. डबल सर्किट HEXA खण्डवा से धुले विद्युत लाईन के निर्माण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम ......मालवन...... के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड ......मेन सतपुडा - 1...... के कक्ष क्रमांक ......RF 567, RF 568...... में/राजस्व वन क्षेत्र खसरा क्रमांक ......–...... में आवेदित क्षेत्रफल ......7.645...... हेक्ट. है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि व्यवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अतंर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक ......02-10-2016...... को की गई, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि, व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एत्द द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न :— ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति ।

अध्यक्ष
वन समिति, मालवन

दिनांक
02-10-16

सचिव
ग्राम पंचायत, मालवन
ज. पं. सेंधवा, जि. बड़वानी

सरपंच
शाहजाबाई जाधव
ग्रा पंचायत मालवन

प्रधान/सचिव
हस्ताक्षर नाम एवं मुद्रा सहित

सचिव
वन समिति, मालवन

रुकमणी मण्डलोई
बीटगार्ड मालवन

अन्य समुदायिक दावों के सम्बंध में ग्राम सभा द्वारा किये जाने वाले

संकल्प का प्रारूप

1. इस दावे के सम्बंध में ग्राम सभा की बैठक दिनांक 02-10-2016 में वन अधिकारी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार किया गया। बैठक की पूर्व सूचना उपखण्ड स्तर समिति और वन विभाग के प्राधिकृत अधिकारी बीट गार्ड को भी दी गई थी। निम्नांकित प्रतिनिधि उपस्थित हुए, जिन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया :–

   वन विभाग की ओर से बीट गार्ड, वन अधिकार समिति

   स्तर समिति की ओर से प्रस्ताव पारित किया गया

2. वन अधिकारी समिति के निश्कर्श, दावे के समर्थन के दावें उपलब्ध साक्ष्य और हितबद्ध पक्षों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधियों के कथनों पर विचार करने के उपरांत निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया :–

   दावा मान्य किया जाता है।

   दावा निम्नलिखित संस्साधनों के साथ मान्य किया जाता है :–

   ....

   ....

   ....

   दावा निम्नलिखित कारणों से मान्य नहीं किया जाता है :–

   ....

   ....

अध्यक्ष
वन समिति, मालवन

सचिव
वन समिति, मालवन

सचिव
ग्राम पंचायत, माल...
ज. पं. सेंधवा, जि. बड़...

सरपंच
शाहजाबाई जाधव
ग्रा पंचायत मालवन

रुकमणी मण्डलोई
बीटगार्ड मालवन

दिनांक
02-10-16

कार्यालय

ग्राम पंचायत मालवन जनपद पंचायत सेंधवा

प्रस्ताव क्र. 54

1/10/2016

आज दीनांक 2/10/2016 को ग्राम सभा का आयोजन स्थानिय ग्राम पंचायत भवन मे सरपंच मो० कि अध्यक्षता मे किया गया।

जिसमे निम्न प्रस्ताव पारित किए गये।

प्रस्ताव क्र. 54

2/10/2016

विषय! विद्युत लाईन ग्राम पंचायत मालवन के वन क्षेत्र से गुजरने एवं अनापत्ती प्रमाण-पत्र बाबद	विषयांकित विषय के अन्तर्गत ग्राम सरपंच मो० ने प्रस्ताव रखा गया कि ग्राम मालवन के वन ग्राम क्षेत्र मे कक्ष क्र RF567 व RF568 के क्षेत्र फल 7.645 हेक्टर मे से विद्युत लाईन निकालने से ग्राम पंचायत मालवन को कोई आपत्ती नहीं है उक्त प्रस्ताव को ग्राम सभा सदस्य गण ने सर्व सम्मती से अनुमोदन किया गया

प्रस्तावक

सरपंच
शाहजाबाई जाधव
ग्रा पंचायत मालवन

अनुमोदक

Mhorte

सचिव
वन समिति, मालवन

सचिव
ग्राम पंचायत, मालवन
ज. पं. सेंधवा, जि. बड़वानी

रुकमणी मण्डलोई
बीटगार्ड मालवन

शिवमन्गल जाधव
अध्यक्ष
वन समिति, मालवन

शाहजाबाई
सरपंच
शाहजाबाई जाधव
ग्रा पंचायत मालवन

(सत्य प्रतिलिपि)

दिनांक 02.10.2016

ग्राम स्तरीय वनअधिकार समिति विनिश्चय पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि–

1. खरगोन ट्रॅन्समिशन लिमिटेड, खरगोन द्वारा 765 के.वी. डबल सर्किट HEXA खण्डवा–धुले विघुत लाईन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है , उपखण्ड सेंधवा के जनपद पंचायत सेंधवा अंतर्गत ग्राम पंचायत मालवन के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वनखण्ड मेन सतपुडा के कक्ष कमांक आरएफ 567,आरएफ 568 में /राजस्व वनक्षेत्र खसरा नं. ....में आवेदित क्षेत्रफल 7.645 हेक्टर वनभूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभाओ के सहमति के उपरांत ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। अतः ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के विनिश्चय पश्चात प्रस्ताव पर समस्त उपस्थित सदस्यो कि सहमति उपरांत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की ओर भेजा जाना सुनिश्चित किया गया है।
2. वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत् वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासीयो कि उपरोक्त ग्राम सभाओ के समक्ष रखा जाने के पश्चात ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति समिति के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव पर चर्चा एवं बैठक दिनांक 2.10.2016 को की गई, जिसमें ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति समिती के सदस्य उपस्थित थे ।
3. अतः विनिश्चय किया जाता है कि, ग्राम सभा से सहमति उपरांत व्यपवर्तन के लिये आवेदित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्यपरम्परागत वननिवासी(वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारीकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गयाहै तथा ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव उपरांत ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया गया है।
4. वन भूमि व्यपर्वतन के फलस्वरूप सम्पादित किये जाने वाले कार्य से क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा के सहमति अनुसार ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति भी उक्त प्रस्ताव पर अपना अभिमत/सहमति/विनिश्चय व्यक्त करती है।

(1) सिलदार

(2) निशान [illegible]

(3) निशान [illegible]

सचिव / अध्यक्ष
ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति
ग्राम मालवन पंचायत मालवन

ग्राम स्तरिय वन अधिकार समिति, मालवन

Date: 02 10 2016

प्रस्ताव	ठहराव
विषय: खरगौन ट्रॅन्समिशन लिमिटेड द्वारा 765 के.वी. डबल सर्किट खण्डवा- धुले विद्युत लाईन के निर्माण हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बंध में विचार विमर्श |	आज दिनांक 02-10-2016 को ग्राम पंचायत मालवन में ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति कि बैठक का आयोजन किया गया जिसमें उपरोक्त विषय में अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बधं में विचार विमर्श किया गया | ग्राम पंचायत मालवन में आरक्षित वन कक्ष क्र. 567 एवं 568 से विद्युत लाईन का निर्माण प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत कुल रकबा 7.645 हेक्टर वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ग्राम स्तरिय वन अधिकार समीति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है | अतः विनिश्चय वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं / प्रक्रियाओं का पालन कर लिया गया है | तथा ग्राम स्तरिय वन अधिकार समीति द्वारा व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समक्ष किया गया है | ग्राम पंचायत मालवन, ग्राम स्तरिय वन अधिकार समिति यह प्रस्ताव पारित करती है |

Mahesh

सचिव / अध्यक्ष
ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति
ग्राम मालवन पंचायत मालवन